ISSN: 2394-3122 (Online)
ISSN: 2394-6253 (Print)
Impact Factor: 6.03
Volume 11, Issue 12, December 2024
SK International Journal of Multidisciplinary Research Hub
Journal for all Subjects
e-ISJN: A4372-3088
p-ISJN: A4372-3089
Research Article / Survey Paper / Case Study
Published By: SK Publisher (www.skpublisher.com)

भारत में गठबन्धन राजनीति का संसदीय लोकतन्त्र पर प्रभाव

Dr. Nitin Kumar
(M.A., NET & Ph.D. in Political Science)
V.&P.O.- Ritauli, District- Rohtak,
Haryana, India.
DOI: https://doi.org/10.61165/sk.publisher.v11i12.116

शोधालेख सारः– वस्तुतः जब कभी केन्द्र या किसी राज्य में विखण्डित जनादे । के कारण त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभा का निर्माण होता है तो उस स्थिति में जो भी सरकार बनती है, वह सरकार प्रायः अल्पमत में होने के कारण अस्थिर प्रकृति की होती है जो कभी भी गिर सकती है। ऐसी सरकारों का निर्माण विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा गठबंधन राजनीति के रूप में होता है। भारत में वर्श 1977 में प्रथम बार जो गैर–कांग्रेसी व जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वह गठबंधन सरकार थी। इसके बाद वर्श 1989 के बाद तो भारत की राजनीति में बार–बार ऐसी सरकारों का निर्माण होता रहा है। इन सरकारों के कारण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था व संसदीय लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव भी दृश्टिगोचर हुआ हैं। आज हमारी राजनीतिक व्यवस्था जिसे हम संसदीय प्रणाली के नाम से जानते हैं, अनेक समस्याओं से जुझ रही है। इनमें प्रमुख हैं – दल–बदल की बीमारी, अल्पमत सरकारें, पीत राजनीति, राजनीति का अपराधीकरण, बेमेल गठबन्धन की राजनीति, राजनीतिक दलों के सिद्धान्तहीन समझौते, अवसरवादिता की राजनीति, भ्रष्ट एवं स्वार्थपूर्ण राजनीति, सांसदों के अमर्यादित व्यवहार, संसद की परम्पराओं का हनन, राजनीति और राजनेताओं का चारित्रिक पतन, मतदान के प्रति घटता रूझान, क्षेत्रवाद की राजनीति, क्षेत्रीय दलों का क्षेत्रीय चरित्र, जनता व नेताओं में राष्ट्रीय चरित्र का अभाव आदि। प्रस्तुत भाोध पत्र में गठबंधन राजनीति के संसदीय लोकतंत्र पर पडने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है।

मूल शब्दः– संसदीय लोकतंत्र, गठबन्धन की राजनीति, अल्पमत सरकारें, क्षेत्रवाद की राजनीति, स्वार्थपूर्ण राजनीति, संसद की परम्पराओं का हनन।

भूमिकाः–

हम इस तथ्य को नही नकार सकते कि गठबन्धन की राजनीति ने हमारी संसदीय परम्पराओं को जो आघात पहुंचाया है, उससे संसदीय लोकतंत्र के प्रति आम जनता में अविश्वास की भावना पैदा हुई है। इसलिए यह जानना अपरिहार्य हो जाता है कि गठबन्धन की राजनीति और त्रिशंकु लोकसभाओं की उत्पत्ति के कारण भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े हैं? इनका अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :–

राजनीतिक अस्थिरताः–

भारत के संसदीय लोकतंत्र में यह व्याधि दल–बदल की राजनीति का बाई–प्रोडक्ट है। केन्द्र तथा राज्य स्तर पर

© 2024, SK Publisher All Rights Reserved

पिछले कुछ समय में राजनीतिक अस्थायित्व के दो रूप अस्तित्व मे आए – वास्तविक एवं मनोवैज्ञानिक। कार्यकुशल शासन के लिए मनोवैज्ञानिक राजनीतिक अस्थायित्व भी उतना ही घातक है जितना वास्तविक राजनीतिक अस्थायित्व। इसी राजनीतिक अस्थिरता ने संसदीय व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता को जन्म दिया है। वर्श 1998 के लोकसभा के आम चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद कांग्रेस एवं संयुक्त मोर्चा द्वारा एक दूसरे की गले मे बाहें डालने की आतुरता ने सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्था की नैतिक आधारशिला एवं जनादेश के समक्ष ही प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर दिया था।

लम्बे समय से बार–बार भारत में केन्द्र और राज्यों के स्तर पर बनने वाली त्रिशंकु विधानमण्डलों और सरकारों का कार्यकरण आशा के अनुरूप नहीं रहा है। इस प्रकार की सरकारों मे शामिल राजनीतिक दलों के बीच पारस्परिक मतभेद और तनाव, राजनीतिक दल–बदल, दलों का अनुत्तरदायी आचरण और पीत राजनीति के कारण राजनीतिक अस्थायित्व पैदा होता है। त्रिशंकु लोकसभा में सरकारें अल्पमत पर आधारित होने के कारण प्रायः अस्थिर ही रहती है। चौ0 चरण सिंह, चन्द्रशेखर, वी0 पी0 सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एच0 डी0 देवगौड़ा व इन्द्र कुमार गुजराल की सरकारों ऐसी ही सरकारें रही हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता का अन्दाजा प्रधानमंत्री के कार्यकाल से भी लगाया जा सकता है। 1989 में लोकसभा चुनावों के बाद वी0 पी0 सिंह 11 महीने तथा चन्द्रशेखर 4 महीने प्रधानमंत्री रहे। 1996 मे बनी कांग्रेस सरकार में देवगौड़ा 10 महीने तथा इन्द्र कुमार गुजराल 8 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इनमें सबसे कम कार्यकाल 13 दिन वाली वाजपेयी सरकार का रहा जो 11वीं लोकसभा के चुनावों के बाद बनी थी। 12वीं लोकसभा के दौरान बनी सरकार में भी वाजपेयी का कार्यकाल 13 महीने रहा।

इस राजनीतिक अस्थिरता का कारण है दल–बदल और बाहरी समर्थन की पीत राजनीति। देवगौड़ा सरकार के पतन का कारण बाहरी समर्थन ही बना। कांग्रेस ने 10 महीने 19 दिन के बाद अपना समर्थन वापिस ले लिया और सरकार गिर गई। 1989 में नौवीं लोकसभा के चुनावों के बाद बनी गठबन्धन सरकार के पतन का कारण भी यही था। इसके बारे मे भालचन्द्र गोस्वामी ने लिखा है– 'बाहरी समर्थन के कारण वी0 पी0 सिंह की सरकार तो बन गई। यह भारतीय राजनीति मे पहली बार हुआ कि किसी लूली–लंगड़ी सरकार को 'बाहरी समर्थन' की बैशाखी से काम चलाना पड़ा और ज्योंही भाजपा ने अपनी बैशाखी हटाई, त्योंही सरकार गिर गई।'

राजनीतिक अस्थायित्व पैदा करने मे विपक्षी दलों की कोशिशें तो स्पष्ट होती ही हैं, लेकिन एक ही राजनीतिक दल भी ऐसे बोझिल पर्यावरण को बनाए रखने मे सहयोग देते रहते हैं। मसलन प्रधानमंत्री या मुख्यमन्त्री द्वारा राजनीतिक कारणों से मंत्रिमंडल में बार–बार किए जाने वाले परिवर्तन, मंत्रिमंडल के सदस्यों के त्यागपत्र, छोटा–बड़ा मंत्रिमंडलीय संकट, दल के संसदीय पक्ष एवं संगठन पक्ष में गम्भीर वाद–विवाद, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच या केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के बीच गम्भीर विवाद की स्थितियां भी राजनीतिक अस्थायित्व का कारण बनती हैं।' ऐसा वातावरण त्रिशंकु लोकसभाओं के अवसर पर ही मौजूद होता है।

चूंकि त्रिशंकु लोकसभा में सरकार बनाना एक चुनौतिपूर्ण कार्य माना जाता है, अतः इसके लिए विरोधी विचारधारा वाले दलों से भी समझौते करने पड़ते हैं। जोड़–तोड़ की पीत राजनीति की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि गठबन्धन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे मे घटक दलों के बीच कोई अविश्वास उत्पन्न होता है तो उसका सम्भावित परिणाम समर्थन वापसी और सरकार का अल्पमत में आकर गिरना ही होता है। वर्श 1989, 1996 व 1998 में सरकारों का अस्थायी रहने के पीछे यही प्रमुख कारण था। इसी से हमारी राजनीतिक व्यवस्था अस्थायित्व के मार्ग पर चलने

लगी। 13वीं और 14वीं लोकसभाओं के अवसर पर बनी सरकारों द्वारा कार्यकाल पूरा करते देख इस बात का अंदेशा भी लगाया जा सकता है कि शायद भविष्य में हमारी संसदीय प्रणाली को राजनीतिक अस्थायित्व का सामना न करना पड़े।

अवसरवादिता की राजनीति का जन्मः—

वस्तुतः भारत में गठबंधन की राजनीति ने सिद्धान्तहीनता और भीतरघात की अराजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया तथा सभी स्वस्थ परम्पराओं व राजनीतिक आदर्शों की मिट्टी पलीत कर दी। राजनीतिक मूल्यों का स्थगन और बड़ी सत्ता हथियाने के लिए छोटी सत्ता का परित्याग इसी का चरण है। राजनीतिक नैतिकता के इस विचलन ने न केवल सैद्धान्तिक पर्दे में छेद किये हैं, बल्कि मूल्यगत व्यवस्था को भी तार—तार किया है। इससे राजनीति में अस्थैर्य, तदर्थता और विभ्रम की स्थिति बन गई है। अवसरवादिता का सीधा ताल्लुक विश्वास की मौत से होता है। इस प्रवृति के चलते कुल जमा नतीजा यह निकलता है कि राजनीति अब जोड़—तोड़ के मुहाने पर खड़ी है। अतः गठबन्धन की राजनीति में अवसरवादिता का जो तत्व प्रविष्ट हुआ है उसने संसदीय लोकतंत्र की छवि को धूमिल किया है। सत्तारूढ दल सरकार बचाने के लिए सभी जोड़—तोड़ करता है। सरकार निर्माण और सरकार चलाने के साथ—साथ बेमेल चुनावी गठबन्धन भी पनपते रहते हैं। वर्श 1989 के बाद अवसरवादिता की राजनीति हमारी राजनीतिक व्यवस्था की पहचान चुकी है। धीरे—धीरे इसने आज एक विकराल रूप धारण कर लिया है। चुनावों के दौरान ऐसे दलों में समझौते होते देखे जाते हैं जो पहले कटटर विरोधी रहे थे। वर्श 1980 के केरल विधानसभा चुनावों में इंन्दिरा कांग्रेस और जनता पार्टी ने परस्पर सहयोग करते हुए एक ही फ्रन्ट पर चुनाव लड़ा था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये दल एक दूसरे के धोर विरोधी थे। वास्तव में राजनीतिक दलों की विचारधारा में स्वार्थपूर्ण राजनीति का ऐसा समावेश हुआ कि वे सभी लोकतंत्रीय आदर्शों को स्वहित में बलिदान कर देते हैं।

दलीय व्यवस्था पर प्रभावः—

भारत के संसदीय लोकतंत्र में त्रिशंकु लोकसभा और गठबन्धन की राजनीति के चलते दलीय व्यवस्था के स्वरूप मे भी बदलाव आया है। भारतीय राजनीति के परिवर्तित परिवेश मे क्षेत्रीय दलों की नई उभरती भूमिका भारतीय दल प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण बन गई है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जनसामान्य के अधिक निकट हैं। इनके नेता ही आज राष्ट्रीय मुद्दों का निर्धारण करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। उनकी इस भूमिका ने भारत की दलीय प्रणाली को बहुदलीय स्वरूप प्रदान किया है। वस्तुतः भारत के अनेक प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी से बहुत दूरी पर स्थित हैं तथा इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की अपनी कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण वे केन्द्रीय नेताओं को या राष्ट्रीय दलों की अपेक्षा क्षेत्रीय दलों को अधिक पसन्द करते हैं। जब ये क्षेत्रीय शक्तियां संसद में पहुंचती हैं तो इनकी सरकार निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

परन्तु दुःख इस बात का है कि अधिकांश राजनीतिक दलों के कार्यक्रम और नीतियाँ इतनी अस्पष्ट हैं और उनमें समयानुसार कोई भी बदलाव किया जा सकता है जिससे संसदीय परम्पराओं का पतन हुआ है। दल—बदल की बढ़ती प्रवृति को इन दलों ने इस कदर बढ़ावा दिया है कि संसदीय प्रणाली को अनेक अवसरों पर शर्मसार होना पड़ा है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का चरित्र परस्पर परिवर्तित हो गया है। आज कोई भी राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के सहयोग के बिना सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ है। चुनावों में भी राजनीतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है। जो दलीय नेतृत्व पहले सामान्य जनता के लिए प्रेरणा स्त्रोत हुआ करता था तथा जिसके व्यक्तित्व में राष्ट्रीयता प्रतिबिम्बित होती

थी व जिसके प्रभाव को समाज में राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य स्थापित हुआ करते थे, आज वही नेतृत्व सामान्य जनता की निष्ठा से दूर होता जा रहा है। वास्तव में उसमें अवसरवादिता की भावना पनप चुकी है जो संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक है।

संसदीय परम्पराओं पर कुठाराघातः–

अधिकां ा राजनीतिक वि लेशक इस बात से सहमत है कि त्रिशंकु लोकसभाओं के राजनीतिक परिदृश्य और कार्यकरण के कारण जितना नुकसान भारतीय संसदीय लोकतंत्र का हुआ है उतना अन्य किसी देश का नहीं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और मंत्रिमण्डल सामुहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर कार्य करता है। त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति ने संवैधानिक मुखिया के सामने कई बार ऐसी विकट स्थितियाँ पैदा की हैं कि किस दल को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। ऐसी विकट परिस्थिति में संवैधानिक मुखिया ने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोक करके उस समस्या का समाधान तो निकाल लिया, परन्तु वे संसदीय परम्पराओं पर होने वाले कुठाराघात को नहीं रोक सके। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल सामुहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, परन्तु त्रिशंकु लोकसभाओं में गठबन्धन सरकारों के कार्यकरण के अन्तर्गत इस सिद्धान्त का मजाक उड़ाया गया। कई महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में पहले ही जनता को पता चल गया तथा दोषी मंत्री को कोई सजा नहीं दी गई। संसदीय परम्पराओं की ऐसी दुर्गति शायद ही किसी संसदीय प्रजातंत्र वाले देश में हुई होगी।

गठबन्धन सरकार के चलते प्रधानमंत्री के पद और प्रतिष्ठा को भी धूमिल होने से नहीं बचाया जा सका। जब मंत्रिमंडल निर्माण का समय आया तो प्रधानमंत्री इतना बेबस दिखाई दिया कि वह समान विचारधारा वाले सदस्यों की टीम नहीं बना सका और न ही आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर सका। उसकी जगह समन्वय समिति ने ले ली और न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के तहत मंत्रिमंडलीय प्रणाली और प्रधानमंत्री दोनों सरकार बचाने के लिए प्रयासरत् दिखाई दिए। संसदीय लोकतंत्र की मर्यादाओं का ऐसा हनन कहीं नहीं हुआ।

राजनीतिक संस्कृति का क्षरणः–

त्रिशंकु लोकसभा में बनने वाली गठबन्धन की सरकारों और उनकी राजनीति ने राजसत्ता को प्रमुख लक्ष्य मानकर कार्य किया। सरकार चलाने की बजाय सरकार बचाने के ऐसे प्रयास किए गए कि सभी राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श और विचारधाराएँ गौण बनकर रह गई। अब राजनीति एक ऐसा व्यवसाय बनकर रह गई जिसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति अपनी शरणस्थली मानने लगे और हर अवसर पर राजनीतिक सौदेबाजी करते प्रतीत हुए। नरसिंहाराव सरकार को बचाने के लिए सांसदों की जो खरीद फरोक्त हुई उससे शर्मनाक घटना संसदीय लोकतंत्र में और क्या हो सकती है? झारखण्ड मुक्ति मोर्चो रिश्वत कांड से हमारी राजनीतिक संस्कृति का जो क्षरण हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। संसद जो हमारे लोकतंत्र की गरिमा है, उसके अन्दर हमारे सांसद सवाल उठाने के लिए भी पैसे लेते हैं। इससे संसदीय गरिमा ही सन्देह के घेरे में आ जाती है। इसलिए आज यह अपरिहार्य है कि सांसदों को भी लोकसेवकों की तरह जांच के घेरे में लाया जाए ताकि उन पर भी मुकद्मा चलाया जा सके।

अतः आज राजनीति का अवमूल्यन हो चुका है और सभी राजनीतिक आदर्श कोरी कल्पना बनकर रह गए हैं। यह संसदीय लोकतंत्र के भविष्य पर प्रश्न चिह्न लगा देता है। इसलिए आज यह जरूरी है कि इसके ह्रास के लिए उत्तरदायी कारणों की खोज की जाए ताकि जनता का संसदीय प्रजातंत्र के प्रति विश्वास बहाल किया जा सके।

संसद के कार्यकरण पर प्रभावः—

त्रिशंकु लोकसभा में उपजे राजनीतिक परिवेश ने संसदीय कार्यकरण और परम्पराओं का भी ह्रास किया है। दसवीं लोकसभा गठित होने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन का प्रश्न चर्चा में रहा क्योंकि स्पष्ट बहुमत के अभाव में इस बारे विवाद की स्थिति पैदा होती है। इस दौरान अध्यक्ष के नाम पर तो सहमति बन गई थी, परन्तु उपाध्यक्ष का चयन सहमति से नहीं हो सका। इसके लिए लोकसभा के इतिहास में प्रथम बार उपाध्यक्ष के लिए चुनाव करवाना पड़ा। इस तरह संसदीय परम्परा का ह्रास ही हुआ। इसी तरह त्रिशंकु लोकसभा में लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों की समिति में भी शासक दल के सदस्यों की संख्या सीमित रह जाती है। इससे सरकार का कार्यकरण प्रभावित होता है। इसी तरह विधि निर्माण के कार्य मे भी सतारूढ़ दल चुनौतियों का सामना करता है। सदन में उसके सदस्यों का पर्याप्त बहुमत न होने के कारण कानून बनाने में परेशानियाँ आती हैं। इसका प्रमुख कारण संसद का त्रिशंकु होना ही है। ऐसी स्थिति 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 तथा 2009 में बार—बार देखने को आई।

राजनीति का अवमूल्यनः—

यह बात सत्य है कि भारत में त्रिशंकु लोकसभाओं के दौर में राजनीति का अवमूल्यन हुआ है तथा राजनीति में निषेधात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ है। गठबन्धन सरकारों का निर्माण इसी दृष्टिकोण के चलते हुआ है। भारत में वर्श 1989 के बाद बनने वाली सरकारें कांग्रेस विरोधी या भाजपा विरोधी दृष्टिकोण को लेकर ही बनी है। अब वर्श 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भाजपा को सत्ता से दूर रखा जा सके। ऐसी सोच राष्ट्रहित में कभी नहीं हो सकती। आज हमारी राजनीति में लक्ष्यहीन संसदवाद और सत्ता—सुख की मादकता के मोह ने संसदीय परम्पराओं का हनन किया है। गठबन्धन की राजनीति ने घोटालों को इतना बढ़ाया है कि आम व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहा कि इस संसदीय प्रणाली वाले देश का क्या होगा? आज राजनीति और अपराध का गठजोड़ हमारे भाग्य का विधाता बन चुका है। अपराधियों का राजनीति में आना संसदीय लोकतंत्र के हित में नहीं हो सकता। केन्द्र में अल्पमत की सरकारों के चलते ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते जो राजनीति के अपराधीकरण को रोके। यद्यपि इस दिशा में चुनाव आयोग ने कुछ सकारात्मक कदम अवश्य उठाएं हैं, परन्तु चुनावों के समय उनका सरेआम उल्लंघन होता दिखाई देता है। वास्तव में पीत राजनीति की बीमारी संसदीय लोकतंत्र को जिस प्रकार जकड़ चुकी है, निकट भविष्य में उससे छूटकारा पाना सम्भव नहीं है। आज राजनीतिक दलों का न तो राष्ट्रीय चरित्र रहा और न ही हमारे नेता राष्ट्रवादी रहे। इसके साथ ही त्रिशंकु संसद के परिवेश के कारण बनने वाली गठबन्धन सरकारों ने ऐसी विषय परिस्थितियों को जन्म दिया है तथा इसके कारण राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक पदों की गरिमा और प्रतिष्ठा तक पर आंच आई है।

सारांशः—

अतः गठबंधन राजनीति के युग में भारत के संसदीय लोकतंत्र में विखण्डित जनादेश के कारण बार—बार त्रिशंकु लोकसभाओं व विधानसभाओं का जो राजनीतिक परिदृश्य उत्पन्न हुआ, उससे हमारी संसदीय प्रणाली का काफी अहित हुआ। विखण्डित जनादेश के चलते जोड़—तोड़ की घटिया एवं पीत राजनीति का प्रचलन हुआ तथा इसने भारत की

राजनीतिक संस्कृति और संसदीय संस्कृति दोनों को ही पीत कर डाला। देश में बार–बार अल्पमत की सरकारें और राजनीतिक अस्थायित्व ने हमारे संसदीय लोकतंत्र के भविष्य पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया। क्षेत्रीय दलों ने इस दिशा में जो भूमिका अदा की, उससे हमारी संसदीय प्रणाली कई बार शर्मशार हुई।

इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि राजनीति के अवमूल्यन को रोका जाए ताकि संसदीय परम्पराओं वाला यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विनाश के गर्त में जाने से बच जाए। हमें इसके लिए अपनी सोच राष्ट्रवादी बनानी होगी और राष्ट्रवादी सोच वाले नेताओं के हाथ में ही शासन सौंपना होगा। परन्तु वर्तमान में तो इसे एक कपोल कल्पना ही कहा जा सकता है। फिर भी कई राजनीतिक वि लेशकों का मानना है कि वर्तमान समय में सभी सरकारों को राष्ट्रीय कार्यक्रम व विचारधारा पर चलना चाहिए और संसदीय संस्थाओं को राष्ट्र हित में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए ताकि भारत के संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को बचाया जा सके।

संदर्भ सूची

१ गोस्वामी, भालचन्द, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 1997

२ जोशी, जगदीश प्रसाद, 'संविधान के 50 वर्ष : अन्तःदर्शन और अतीत चिन्तन का समय', आर0 पी0 जोशी एवं आर0 एस0 आढ़ा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था : पुर्नरचना के विविध आयाम, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2000

३ जैन, संजय, 'राजनीतिक अस्थायित्व मे जकड़ा संसदीय लोकतंत्र', रजनी तिवारी, सम्पादित, भारत में दलीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2003

४ मिश्रा, राजेन्द्र प्रसाद, ''संसदीय लोकतंत्र के समक्ष विधमान चुनौतियां'', रजनी तिवारी, रजनी तिवारी, सम्पादित, भारत में दलीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2003

५ सिंह, मोहन, 'जवाब संसदीय जवाबदेही का', दैनिक जागरण, 15 फरवरी, 2006

६ शुक्ला, राजीव, ''संसदीय हुंगामें की परम्परा'', दैनिक जागरण, 25 अगस्त, 2007

७ फाड़िया, बाबू लाल, भारतीय भासन एवं राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, 2012

८ छोकर, जगदीश, ''परिपक्वता के दौर में है लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था'', दैनिक जागरण, 13 मई, 2012

९ https://www.legalservicesindia.com/article/1642/Coalition-Government-and-its-Impact-on-Indian-Federal-Structure.html

१० https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/ERRE/Brief/BR8503423/br-external/FerlandBenjamin-e.pdf

११ https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.polisci.10.071105.104340

१२ https://www.jstor.org/stable/42761434

:::. Cite this article .:::

Kumar, Dr. N. (2024). भारत में गठबंधन राजनीति के संसदीय लोकतंत्र पर प्रभाव. SK International Journal of Multidisciplinary Research Hub, 11(12), 594–599. https://doi.org/10.61165/sk.publisher.v11i12.116

© 2024, SK Publisher All Rights Reserved